

निग 06279/2018/सीधी/भू-प्र

न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी राजस्व सर्किट कोर्ट रीवा म. प्र.

श्री विवेक कुमार मिना
एड-राय प्रग/ 5-11-18

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वातिपर
(सर्किट कोर्ट) रीवा



राजेश्वर देव तनय श्री लखपति देव,

- 2- आनन्द कुमार तनय श्री हौसला देव
- 3- कमलेश कुमार तनय श्री हौसला देव
- 4- अरुण कुमार तनय श्री हौसला देव

सभी का पेशा खेती एवं समस्त निवासी ग्राम नन्दनी धाना एवं

तहसील चितरंगी जिला सीधी म. प्र. ---- निगरानीकर्तागण

बनाम

वृहस्पति सिंह तनय श्री तेजप्रताप सिंह सा. नन्दनी धाना एवं

तहसील चितरंगी जिला सीधी म. प्र. ----- गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय

श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय संभाग

रीवा म. प्र. के प्र. क्रमांक 84/निग./

02-03 आदेश दिनांक 14-6-18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू

रा. संहिता 1959 ई०।


मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

115

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

रण क्रमांक निगम-6279/2018/2018 जिला-रियगरीली
रामेश्वर देव विरुद्ध बृहस्पति सिंह

(1)	(2)	(3)
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. जिनलेन्द्र कु. मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 84/निग. 02:03 में पारित आदेश दिनांक 14-6-18 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 05-11-2018 प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p>	

[Handwritten marks/signatures]

